::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर::

: : आदेश : :

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में दायर अपील संख्याः 930/2022 (हेमराज शर्मा एंव 107 अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य) में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश में अभ्यर्थीगण को आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के समक्ष अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुति के निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय को पूर्वोक्त अधिकरण आदेश दिनांकः 15.11.22 की वादी सूची में सम्मिलित निम्नांकित अपीलार्थियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:-

क्रम संख्या	नाम अपीलार्थी-सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	अभ्यावेदन दिनांक	वादी सूची में अंकित क्रमांक
1	हेमराज शर्मा / सत्यनारायण शर्मा	28.11.2022	1
2	अमीचन्द कालीरावणा / भागीरथ प्रसाद	28.11.2022	2
3	दिलीप कुमार शर्मा / राम गोपाल शर्मा	28.11.2022	3
4	मुकेश कुमार शर्मा / शिव चरण शर्मा	28.11.2022	4
5	अनिल टेलर / नारायण टेलर	28.11.2022	6
6	भानुप्रताप जैसवार / रामदयाल जैसवार	28.11.2022	11
7	संदीप वर्मा / भंवर लाल वर्मा	26.11.2022	15
8	नितिन सिंघल / अशोक कुमार	—	36
9	देवलता शर्मा / हरि शंकर शर्मा	27.11.2022	37
10	रोहित शर्मा / मोहन लाल शर्मा	28.11.2022	43
11	अंजु शर्मा / सत्यनारायण शर्मा	28.11.2022	96

Rajasthan Education Department

माननीय अधिकरण द्वारा अभ्यावेदन का संबंधित नियमो के अनुसार गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने के निर्देशों के तहत उपर्युक्तानुसार प्राप्त समस्त अभ्यावेदनों एवं अपील मे प्रस्तुत तथ्यों को संबंधित सेवा नियमों एवं अभिलेखीय स्थिति के सम्बन्ध में देखा गया।

संदर्भित अपील एवं प्रस्तुत अभ्यावेदनों में अपीलार्थियों द्वारा स्कूल प्राध्यापक भर्ती विज्ञापन वर्षः 2015 मे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से प्राध्यापक (संस्कृत) को प्राध्यापक वरिष्ठता वर्षः 2017-18 के स्थान पर वरिष्ठता सूची वर्षः 2016-17 में निम्नांकित आधारों पर सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

I. सभी विषयों का विज्ञापन वर्ष एवं परिणाम वर्ष समान होने के आधार पर।
II. प्राध्यापक (संस्कृत) की अभिस्तावना 2016 में ही भेजे जाने के आधार पर।
III. वर्षः 2017 में अभिस्तावना के क्रम का अतिक्रमण करने के आधार पर।
IV. वर्षः 2017 व 2018 में संशोधित या रिशफल परिणाम में चयनित अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को भी सम्बन्धित विषय के पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के समान ही वरिष्ठता का लाभ दिए जाने के आधार पर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक पद हेतु विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग परीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय के लिए परिणाम भी अलग से ही जारी होता है और प्रत्येक विषय के लिए अलग से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सिफारिशें भी उनके योग्यता क्रम में विषयवार ही नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जाती है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति संबंधी समुचित औपचारिकताओं के निर्वहन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। चूंकि विभाग में कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का मूल आधार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमित चयन उपरांत जारी नियुक्ति तिथि है, अतः प्राध्यापक पद के विज्ञापन एवं परिणाम वर्ष के समान होने के आधार पर समस्त कार्मिकों को समान वरिष्ठता वर्ष प्रदान किए जाने की मांग कतई [illegible] नहीं है।

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Director
Date: 2023.01.18 0[illegible]:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3053755

विभाग में शैक्षिक संवर्ग के समस्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण दिनांकः 03.08.2021 से राजपत्र में प्रकाशन की तिथि (कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांकः 26.07.2021) से प्रभावी नवीन सेवा नियम "राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021" के नियम-36 में उल्लिखित प्रावधानानुसार किया जाता है, जो निम्नानुसार है:-

36. वरिष्ठताः- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगीः

परन्तु-

1. किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में उनके नाम इन नियमों के नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं।

उपर्युक्त परन्तुक में संदर्भित **नियम-28** का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः-

28. आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें:- आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

विभाग में कार्यरत कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप प्रथमतः नियुक्ति तिथि एवं तत्पश्चात मेरिट क्रम के अनुसार किया जाता है। उक्तानुसार विभाग द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापकों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण हेतु विभिन्न विषयों में जारी प्रथम नियुक्ति आदेश की तिथि के कालक्रमानुसार भर्ती एजेंसी द्वारा प्रदत्त वरीयता (मेरिट क्रमांक) के क्रम में संबंधित कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का नियमानुसार निर्धारण किया जाता है। उक्त क्रम में संदर्भित प्राध्यापक भर्ती वर्षः 2015 से संबंधित समस्त 19 विषयों में प्रथम नियुक्ति आदेश तिथि का पृथक्-पृथक् समेकित विवरण निम्नानुसार अवलोकनीय हैः-

क्र.सं.	विषय	प्रथम नियुक्ति आदेश तिथि
1	संगीत	17.10.2016
2	दर्शन शास्त्र	17.10.2016
3	गणित	17.10.2016
4	राजस्थानी	17.10.2016
5	समाजशास्त्र	17.10.2016
6	सिन्धी	17.10.2016
7	चित्रकला	23.10.2016
8	रसायन विज्ञान	25.10.2016
9	राजनीति विज्ञान	09.06.2017
10	अंग्रेजी	10.06.2017
11	हिन्दी	16.06.2017
12	इतिहास	22.06.2017
13	भौतिक विज्ञान	24.06.2017
14	जीव विज्ञान	24.06.2017
15	गृह विज्ञान	24.06.2017
16	वाणिज्य	24.06.2017
17	संस्कृत	28.06.2017
18	भूगोल	28.06.2017
19	अर्थशास्त्र	13.07.2017

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Director
Date: 2023.01.18 0?:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3053755

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

विभागीय सेवा नियमों में वरिष्ठता अवधारण संबंधी पूर्वोल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही संदर्भित सेवा नियम, 2021 के नियम संख्या 36 में वर्णितानुसार उक्त समस्त विषयों में नियुक्ति उपरांत प्राध्यापकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित विषय में प्रथम नियुक्ति आदेश की तिथि के आधार पर किया गया है। उक्तानुसार ही उपर्युक्त सारिणी में क्रम संख्या 1 से 8 में उल्लिखित समस्त विषयों में नियुक्ति आदेश अक्टूबर 2016 में जारी होने के कारण उक्त 8 विषयों में नियुक्ति पाने वाले समस्त प्राध्यापकों को नियमानुसार वरिष्ठता वर्षः 2016–17 (अवधिः 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) प्रदान किया गया है। इसी प्रकार क्रम संख्या 9 से 19 में उल्लिखित समस्त विषयों में नियुक्ति आदेश जून एवं जुलाई 2017 में जारी होने के कारण उक्त 11 विषयों में नियुक्ति पाने वाले समस्त प्राध्यापकों को नियमानुसार वरिष्ठता वर्षः 2017–18 (अवधिः 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) प्रदान किया गया है, अतः संस्कृत विषय का प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांकः 28.06.2017 को जारी होने के कारण उक्त भर्ती द्वारा संस्कृत विषय में प्राध्यापक पद पर चयनित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों (अपीलार्थियों सहित) को प्राध्यापक वरिष्ठता सूची वर्षः 2017–18 में सम्मिलित किया जाना पूर्णतया नियमसंगत एवं नियमानुसार है। विद्यमान सेवा नियम 'राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021' के नियम–36(1) (सहपठित नियम–28) के प्रावधानान्तर्गत वरिष्ठता निर्धारण में नियुक्ति आदेशों की तिथि में कालक्रमानुसार वरिष्ठता निर्धारण करते समय मेरिट (योग्यता) क्रमांक का बखूबी ध्यान रखा जाता है जिसमें एक ही नियुक्ति आदेश से नियुक्ति प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का नियम–28 के अंतर्गत भर्ती एजेंसी द्वारा प्रदत्त मेरिट की वरीयता में पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है। एक ही तिथि को एकाधिक विषयों में नियुक्ति आदेश जारी होने की स्थिति में उन समस्त विषयों में सर्वप्रथम मेरिट क्रमांक–1 पर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी आयु की वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता प्रदान की जाती है। तत्पश्चात मैरिट क्रमांक–2, 3,........... उक्तानुसार समस्त विषयों के अभ्यर्थियों की अन्तः सह वरिष्ठता का निर्धारण पूर्णतः मेरिट क्रमांक को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है।

अपीलार्थियों द्वारा भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिस्तावना तिथि के आधार पर वरिष्ठता वर्ष प्रदान किए जाने की मांग विद्यमान नियमों में प्रभावी प्रावधानानुसार नहीं होने के कारण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि न तो नियमानुसार यह बाध्यकारी है तथा साथ ही नियुक्ति आदेश निर्धारित कार्यालयी प्रक्रिया पूर्ण की जाकर जारी किए जाते हैं, जिसमें कम–ज्यादा समय भी लग सकता है तथा इसे एक निश्चित कालक्रम में बांधा जाना व्यावहारिक रूप से संभव भी नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त सिफारिश मात्र को वरिष्ठता निर्धारण का आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आयोग से अभिस्तावना प्राप्त होने के उपरांत नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अभिस्तावना की पात्रता का परीक्षण एवं अन्य कार्यालयी औपचारिकताओं के समुचित निर्वहन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्त आदेश जारी किए जाते हैं।

जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि नियमों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार प्राध्यापक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण करने हेतु संबंधित विषय में जारी प्रथम नियुक्ति आदेश की तिथि के अनुसार प्रथमतः उक्त विषय हेतु वरिष्ठता वर्ष का निर्धारण किया जाता है एवं तत्पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त मेरिट के अनुक्रम में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार एक ही नियुक्ति (संबंधित विषय में) द्वारा नियुक्त होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उनकी कार्यग्रहण तिथि के आधार पर नहीं, वरन् राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त मेरिट के अनुक्रम में प्रदान की जाती है, जो पूर्णतया नियमसंगत एवं नियमानुसार है।

इस प्रकार अपीलार्थियों द्वारा स्कूल प्राध्यापक भर्ती विज्ञापन वर्षः 2015 में नियुक्त प्राध्यापक (संस्कृत) अभ्यर्थियों को प्राध्यापक वरिष्ठता सूची वर्षः 2017–18 के स्थान पर वर्ष 2016–17 की वरिष्ठता प्रदान किये जाने संबंधी मांग विचार योग्य नहीं बनती है।

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Director
Date: 2023.01.18 0[illegible]:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3053755

Rajasthan Education Department

अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों का अभिलेखनीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचार करने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्त्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थियों की भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा संस्कृत विषय की अभिस्तावना वर्षः 2016 में भेजे जाने के आधार पर प्राध्यापक वरिष्ठता सूची वर्षः 2017–18 के स्थान पर वर्षः 2016–17 में उनका नाम सम्मिलित किए जाने की मांग विद्यमान नियमों के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/वरि/विधि/के–4/अभ्यावेदन/हेमराज शर्मा–930/2022 दिनांकः 18.01.2023

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि), जोधपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कार्मिकः ....।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Director
Date: 2023.01.18 0[illegible]:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3053755